

समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.)

के अन्तर्गत

मध्य स्तरीय तथा आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों
की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

(वित्तीय वर्ष 2008-09)

प्रतिवेदन

महिला एवं बाल कल्याण और पोषण संकाय

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ।

मध्य स्तरीय तथा आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की
भौतिक एवं वित्तीय प्रगति
(वित्तीय वर्ष 2008-09)

प्रतिवेदन

- ★ डॉ० ओ०पी० पाण्डेय, संयुक्त निदेशक /
समन्वयक आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम
- ★ श्री राकेश सक्सेना, शोध सहायक
- ★ डॉ० विनीता सिंह, शोध सहायक
- ★ श्री शिव भगवान, अनुदेशक
- ★ सुश्री सुमन पाण्डेय, अनुदेशक
- ★ सुश्री मुद्रिका शर्मा, अनुदेशक

‘महिला एवं बाल कल्याण और पोषण संकाय’

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ।

विषय-वस्तु

1. पृष्ठ भूमि
2. आई.सी.डी.एस. एक परिचय
3. केन्द्रों की सूची
4. प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय-सारणी
 - (क) मुख्य सेविका कार्य प्रशिक्षण
 - (ख) मुख्य सेविका पुनश्चर्या प्रशिक्षण
 - (ग) आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कार्य प्रशिक्षण
 - (घ) आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुनश्चर्या प्रशिक्षण
5. संसाधन व्यक्तियों की सूची।
6. एम0एल0टी0सी0/ए0डब्ल्यू0टी0सी0 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

मध्य स्तरीय तथा आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. पृष्ठभूमि:

समेकित बाल विकास सेवायें 0-6 वर्ष के बच्चों व महिलाओं के विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आई0सी0डी0एस0 के क्रियान्वयन से जुड़े कर्मियों में दक्षता विकास के उद्देश्य से उनको प्रशिक्षित करने के लिए योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों पर निरन्तर प्रशिक्षण चलता रहता है। उत्तर प्रदेश में आई.सी.डी.एस. कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कुल 52 प्रशिक्षण केन्द्र हैं, जिनमें तीन मध्य स्तरीय प्रशिक्षण तथा 49 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री प्रशिक्षण केन्द्र हैं। एक एम0एल0टी0सी0 केन्द्र राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ पर तथा दो एम0एल0टी0सी0 क्रमशः क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान गोरखपुर तथा क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, झाँसी में स्थापित है। 49 ए0डब्ल्यू0टी0सी0 में से 26 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों पर स्थापित है। शेष आई.सी.डी.एस. निदेशालय, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

प्रशिक्षण प्रगति

वित्तीय वर्ष 2008-09 में कुल 241 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें से 3 मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर 3 कार्य प्रशिक्षण तथा 57 पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये इसी प्रकार 26 आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से 116 कार्य प्रशिक्षण एवं 65 पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुए। इस प्रकार कुल आयोजित 241 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 10117 मुख्य सेविकाओं /आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया।

आई.सी.डी.एस. कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार की उदिशा गाइड लाइन के अनुसार 30 दिवसीय कार्य प्रशिक्षण में 26 प्रशिक्षण कार्य दिवस होते हैं तथा 7 दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण में 6 प्रशिक्षण कार्य दिवस रहते हैं। इस आधार पर यदि कुल प्रशिक्षण कार्य दिवसों का आगणन किया जाय तो मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र पर कुल 9162 प्रशिक्षण कार्य दिवस तथा आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र पर कुल 165600 प्रशिक्षण कार्य दिवस, इस प्रकार कुल 174762 प्रशिक्षण कार्यदिवस सम्पन्न होते हैं। उदिशा गाइड लाइन के अनुसार मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रति प्रशिक्षण 25

प्रतिभागियों का लक्ष्य दिया गया है इस दृष्टि से देखा जाय तो कुल 9162 कार्य दिवसों के सापेक्ष 25 प्रतिभागियों की दर से 366 एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आकार बनता है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों में कुल सृजित 165600 प्रशिक्षण कार्य दिवसों के सापेक्ष उदिशा मानक 35 प्रतिभागी प्रति सत्र की दृष्टि से लगभग 4731 एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का भार आता है। इन दोनों सत्र भारों को जोड़ने पर लगभग 5000 से अधिक एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का भार संस्थान के अधीन कार्यरत मध्य स्तरीय एवं आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा निष्पादित किया जाता है। विस्तृत विवरण तालिका में दिया गया है।

क्रमांक	प्रशिक्षण का प्रकार	प्रतिसत्र प्रशिक्षण अवधि (दिवस)	प्रति सत्र प्रशिक्षण कार्य दिवस	कुल सत्र संख्या	कुल प्रतिभागी (संख्या)	प्रशिक्षण कार्य दिवसों की कुल संख्या (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (एम.एल.टी.सी.)						
1	कार्य प्रशिक्षण	30	26	3	72	1,872
2	पुनश्चर्या	7	6	57	1,215	7290
	योग			60	1,287	9,162
आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र (ए.डब्ल्यू.टी.सी.)						
1	कार्य प्रशिक्षण	30	26	116	5,631	1,46,406
2	पुनश्चर्या	7	6	65	3,199	19,194
	यांग			181	8,830	1,65,600
	महायोग			241	10,117	1,74,762

प्रशिक्षण उद्देश्य

- प्रतिभागियों को समेकित बाल विकास कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- प्रतिभागियों को आई0सी0डी0एस0 के तीन मुख्य घटक स्वास्थ्य एवं पोषण समुदाय सहभागिता एवं शालापूर्व शिक्षा सम्बन्धी तकनीकी जानकारी प्रदान करना।

- प्रतिभागियों की कार्य कुशलता व क्षमता का विकास करना, जिससे वे सुचारू रूप से अपना कार्य कर सकें।
- प्रतिभागियों को मानीटरिंग एवं सुपरविजन करने की प्रक्रिया से अवगत कराना।
- क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत दी जाने वाली सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना।

2. आई.सी.डी.एस.: एक परिचय

समेकित बाल विकास सेवा योजना

राष्ट्रीय बाल नीति, 1974 को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला कल्याण विभाग द्वारा महात्मा गाँधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1975 से समेकित बाल विकास सेवा योजना का शुभारम्भ किया गया। प्रारम्भ में यह योजना देश के 33 विकास खण्डों में लागू की गई। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 920 परियोजनायें चल रही हैं। प्रदेश में इस कार्यक्रम के संचालन हेतु वर्ष 1988 में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय की स्थापना की गई

इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं।

- 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्थिति में सुधार लाना।
- बच्चों में उपयुक्त मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव डालना।
- शिशु मृत्यु दर, उनमें होने वाली बीमारियों, कुपोषण तथा बच्चों की स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना।
- बच्चों के विकास हेतु विभिन्न मंत्रालयों , विभागों तथा संस्थाओं के बीच कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सामंजस्य स्थापित करना।
- स्वास्थ्य शिक्षा तथा उपयुक्त पोषाहार द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य और पोषाहार सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु माताओं की कुशलता व दक्षता में वृद्धि करना।

योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सेवायें

- स्वास्थ्य जाँच ।
- पूरक पोषाहार ।
- प्रतिरक्षण एवं टीकाकरण ।
- संदर्भित सेवायें ।
- पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा ।
- प्रारम्भिक स्तर पर शिशुओं की देखभाल एवं स्कूल पूर्व शिक्षा ।

ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर दी जाने वाली सेवायें—

इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 की जनसंख्या पर एक ऑगनवाड़ी केन्द्र की स्थापना की गई है। प्रत्येक ऑगनवाड़ी केन्द्र पर एक ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्री तथा सहायिका होती है, जिनके माध्यम से उक्त समस्त सेवायें निम्न प्रकार से लक्षित समूह को उपलब्ध कराई जाती है।

- **गर्भवती महिलायें** : पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, परामर्श सेवायें, प्रतिरक्षण/टिटनस का टीका, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा
- **धात्री महिलायें** : पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, परामर्श सेवायें तथा पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा ।
- **जन्म से 6 माह तक के बच्चे** : स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श सेवायें, प्रतिरक्षण/टीका लगाना ।
- **7 माह से 3 वर्ष के बच्चे** : पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, वजन लेना, परामर्श सेवायें, प्रतिरक्षण/टीका लगाना ।
- **3 से 6 वर्ष के बच्चे** : पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श सेवायें, वजन लेना व अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा ।
- **किशोरी बालिकायें(11 से 18 वर्ष)** : परामर्श सेवायें, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, पूरक पोषाहार, किशोरी शक्ति योजना, बालिका समृद्धि योजना
- **महिलायें (15 से 45 वर्ष)** : परामर्श सेवायें, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधायें :

- **हॉट कुक** – 03 से 06 वर्ष के बच्चों को 2 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से गर्म भोजन (खिचड़ी, पोहा, दलिया) उपलब्ध कराया जाता है।
- **पोषाहार (पंजीरी)** – 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों/किशोरियों को प्रतिदिन 70 से 80 ग्राम तथा अति कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को प्रतिदिन 140 से 160 ग्राम पंजीरी (पोषाहार) दिया जाता है।
- **वजन लेने वाली मशीन एवं ग्रोथ कार्ड** – जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों के वृद्धि/विकास का अनुश्रवण करने हेतु वजन मशीन उपलब्ध है।
- **प्री स्कूल किट** – प्लास्टिक गेंद, चाक, रंगीन चार्ट – अक्षर/गिनती, स्लेट, घुंघरू, ढपली आदि।
- **खेल सामग्री** – गेंद, कूदने वाली रस्सी, रबर रिंग, हिन्दी, अंग्रेजी अक्षर व गिनती के ब्लाक, पजल, गुड्डा-गुड़िया, घंटी आदि।
- **मेडिसिन किट** – बुखार/जुखाम/खांसी की दवाई, चोट व मलहम पट्टी की व्यवस्था, आंख का मलहम, पुदीन हरा, कैची, रुई आदि।
- **बर्तन व्यवस्था** – 40 स्टील गिलास, 40 स्टील कटोरी, 40 थाली, 2 जग, 1 बाल्टी आदि।
- **अन्य सामग्री** – कैची, ताला, नेलकटर, मंजीरा, ढोलक, घंटा, टीन का बक्सा, मेडिसिन

3. केन्द्रों की सूची

वित्तीय वर्ष 2008-09 में संस्थान के अधीन एम.एल.टी.सी./ए.डब्ल्यू.टी.सी. की सूची।
(आई0सी0डी0एस0 द्वारा प्रायोजित)

क्रमांक.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम				
मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (एम.एल.टी.सी.)					
1	राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ				
2	चरगावां-गोरखपुर				
3	चिरगांव झांसी				
आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र (ए.डब्ल्यू.टी.सी.)					
1	गाजीपुर	10	जौनपुर	19	इलाहाबाद
2	बख्शी का तालाब, लखनऊ	11	सीतापुर	20	बस्ती
3	अफीमकोठी-प्रतापगढ़	12	कानपुर	21	मुरादाबाद
4	फैजाबाद	13	वाराणसी	22	इटावा
5	सहारनपुर	14	एटा	23	बुलन्दशहर
6	बागपत	15	पीलीभीत	24	रायबरेली
7	मऊ	16	रामपुर	25	बलिया
8	बाराबंकी	17	गोतमबुद्धनगर	26	अलीगढ़
9	मथुरा	18	मुज्जफरनगर		

5 संसाधन व्यक्तियों की सूची

एम.एल.टी.सी./ ए.डब्ल्यू.टी.सी. के अतिथि वार्ताकारों /संसाधन व्यक्तियों की सूची

1. आई.सी.डी.एस. निदेशालय के प्रतिनिधि।
2. निपसिड, लखनऊ के प्रतिनिधि।
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, सम्बन्धित ब्लाक, जनपद।
5. मुख्य सेविका, बाल विकास परियोजना, सम्बन्धित ब्लाक।
6. चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्बन्धित जनपद।
7. समन्वयक आचार्य/जिला प्रशिक्षण अधिकारी, प्रशिक्षण केन्द्र।
8. अनुदेशक, बाल विकास।
9. अनुदेशक, पोषण एवं स्वास्थ्य।
10. अनुदेशक, समाजशास्त्र।
11. विषय विशेषज्ञ।
12. विशेषज्ञ संकाय सदस्यगण।

समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) के अन्तर्गत

मध्य स्तरीय तथा आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति
(वित्तीय वर्ष 2008-09)

क्रमांक	प्रशिक्षण का प्रकार	प्रतिसत्र प्रशिक्षण अवधि (दिवस)	प्रति सत्र प्रशिक्षण कार्य दिवस	कुल आयोजित सत्र संख्या	कुल प्रतिभागी (संख्या)		व्यय धनराशि रु. में
					लक्ष्य	पूर्ति	
1	2	3	4	5		6	7
मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (एम.एल.टी.सी.) : 03							
1	कार्य प्रशिक्षण	30	26	3	105	72	354273
2	पुनश्चर्या	7	6	57	1995	1,215	1744447
	योग			60	3250	1,287	2098720
आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र (ए.डब्ल्यू.टी.सी.) : 26							
1	कार्य प्रशिक्षण	30	26	116	5800	5,631	75511034
2	पुनश्चर्या	7	6	65	3250	3,199	1285422
	यांग			181	9050	8,830	11036456
	महायोग			241	23450	10,117	13135176

नोट— आई.सी.डी.एस. निदेशालय उ0प्र0 द्वारा निर्गत प्रशिक्षण कैलेण्डर के अनुसार क्षेत्रीय / जिला ग्राम्य विकास संस्थानों द्वारा मुख्यसेविकाओं / आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन संस्थान निदेशालय लखनऊ के दिशा निर्देशन में किया जाता है। प्रशिक्षण आयोजन के पश्चात बिल/बाउचर्स सम्बन्धित जनपदों के डी.पी.ओ. को प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार आयोजित सत्र के व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित जनपदों के डी.पी.ओ. द्वारा की जाती है। संस्थान मुख्यालय द्वारा सत्र आयोजन के लिए कोई धन अपनी संस्थाओं को नहीं उपलब्ध कराया जाता है।